

दिनांक-18.08.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के मुख्य बिन्दु:-

1. **Action on Amin:-** नवनियोजित 487 संविदा अमीनों में पुर्नपरीक्षा पश्चात् 02 अमीनों को 30 से कम प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, उन्हें तुरंत स्पष्टीकरण निर्गत कर इस माह के अंत तक आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
2. **GIS Work:-** निदेशालय में विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए कार्यरत GIS Lab में उपलब्ध संसाधन (हॉर्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर), आवश्यक संसाधन, GIS Lab अंतर्गत निर्धारित कार्य, कार्य की प्रक्रिया का निर्धारण एवं GIS Lab से प्राप्त होने वाले परिणामों का आकलन कर स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार किया जाए एवं आवश्यकतानुसार संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए तथ्यपरक एवं उपयोगी परिणाम प्राप्त किए जाए। जिन ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि पूर्ण कर GIS संबंधी भौतिक विवरणी संधारित की गई है, उनमें सुपौल के पिपरा अंचल में संधारित 29 प्रकार के भौतिक विवरणी के अनुसार अलग-अलग मानचित्र एवं सभी भौतिक विवरणियों के साथ एक समेकित मानचित्र को प्रदर्शित किया जाए। भौतिक विवरणियों के संकलन में जिन भौतिक विवरणियों का संकलन नहीं किया गया है, उनको संकलित किया जाए और अधिकतम एवं न्यूनतम कितने प्रकार की भौतिक विवरणी का संकलन क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है, इसके संबंध में जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।
3. **E-Magazine:-** विगत बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में अविलंब ई-मैगजीन नक्शे-ए-कदम के प्रारूप को उपस्थापित किया जाए एवं किसी भी दशा में 01 सितंबर, 2021 से इसका प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।
4. **Supply of Map By Agency And Sell of Map:-** अंचल में राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए जिलों में अधिष्ठापित प्लॉटरों द्वारा किए जा रहे कार्यों का सतत अनुश्रवण किया जाए तथा आवश्यकतानुसार आवंटन उपलब्ध कराया जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति की प्रक्रिया में होने वाले विलंब को देखते हुए एजेंसी के कार्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार मानव बल बढ़ाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
5. **Maximum Use of ETS in Special Survey:-** जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा शिविरवार उपलब्ध कराए गए ETS Machine की विस्तृत समीक्षा की जाए। जिन जिलों विशेषतः अरवल एवं कटिहार जहाँ उपलब्ध ETS Machine का अधिकतम उपयोग नहीं किया गया है, उनसे कारण पृच्छा करते हुए उपलब्ध ETS मशीनों का अधिकतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।
6. **Unavailability of Khatiyani and Map:-** अनुपलब्ध खतियान के संबंध में शिविरवार अनुपलब्ध खतियान की समीक्षा कर अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र की संख्या शिविरवार निर्धारित की जाए। शिविर स्तर पर इस संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा कर निदेशालय स्तर से तैयार की गई। समय सीमा के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
7. **Map with Digital Sign:-** आम जनता को A4 साईज मानचित्रों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली प्रक्रिया में अविलंब सूचित किया जाए कि किस तिथि से यह सुविधा आम रैयतों को उपलब्ध कराई जा सकेगी।
8. **New SS Camp Monitoring:-** विशेष सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के लिए जिन-जिन अंचलों में शिविर गठित नहीं किए गए हैं, वहाँ प्रपत्र-1 में उद्घोषणा करवाना सुनिश्चित किया जाए। वहाँ बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अविलंब शिविर गठित करने का निदेश दिया जाए।

9. **Spatial Mutation Follow up:**— विशेष सर्वेक्षण उपरांत मानचित्रों को अद्यतन बनाए रखने की प्रक्रिया अंतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से समाधान के लिए दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर और भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर को किस प्रकार समन्वित कर मानचित्रों को अद्यतन किया जा सकेगा, दाखिल खारिज के समय उपलब्ध आँकड़ों में समता और विषमता के चिन्हित कर आपस में कैसे समन्वित किया जाएगा इसका समाधान प्राप्त किया जाए। साथ ही इस प्रकार की प्रक्रिया में Cyber Security के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, इसका भी आकलन कर लिया जाए।
10. **MRR Launch:**— आधुनिक अभिलेखागार भवनों में जिन अंचलों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है और राशि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, उनको क्रियाशील करने के संबंध में जिलों का सतत अनुश्रवण किया जाए। जिन 28 अंचलों में भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ किराये के भवन में आधुनिक अभिलेखागार संचालित करने के लिए जिलों से पत्राचार किया जाए। जिन 12 अंचलों में दर का पुनरीक्षण किया जाना है और जिन 53 अंचलों में भवन का निर्माण किया जाना है अथवा निर्माणाधीन हैं, उनके संबंध में भवन निर्माण विभाग से पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही चकबन्दी निदेशालय के अनुश्रवण में जिस एजेंसी द्वारा स्कैनिंग डिजिटिजेशन के संबंध में कार्य किया जा रहा है, उनके कार्यों से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिनांक-01.09.2021 को किया जाए। वैसे आधुनिक अभिलेखागार भवन जिनका निर्माण कुछ वर्षों पूर्व किया गया है, उनमें मरम्मत पेंटिंग इत्यादि से संबंधित को सम्पादित करने के लिए विभागीय स्तर से नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
11. **SS Field Visit and Field Progress:**— विशेष सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति के संबंध में नोडल पदाधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर वैसे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का वेतन स्थगित किया जाए, जिनकी प्रगति असंतोषजनक एवं शून्य है। जाँच के क्रम में जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का आवासीय पता गलत या फर्जी पाया गया है, उन्हें फर्जी प्रतिवेदन समर्पित कर कपटपूर्ण निकासी का दोषी मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों से जिले में पदस्थापित सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के आवासन संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। जिन कर्मियों के विरुद्ध आरोप सही पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जाए। प्रत्येक माह में काम नहीं करने वाले अथवा शून्य प्रगति प्रतिवेदन वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
12. **अन्यान्य:**— आधुनिक अभिलेखागार भवन में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त होनेवाले डाटा इंटी ऑपरेटर के प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षणों की आवश्यकताओं को देखते हुए निदेशालय के छात्रावास भवन में स्थित लाईब्रेरी के समीप कक्ष में कम्प्यूटर लैब स्थापित किया जाए।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 19/08/2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84/2019.....2477

प्रतिलिपि:— श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय/श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू-अर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84/2019.....2477.....पटना, दिनांक :-19/08/2021  
प्रतिलिपि:- एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :-19/08/2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84/2019.....2477.....पटना, दिनांक :-19/08/2021  
प्रतिलिपि:- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :-19/08/2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84/2019.....2477.....पटना, दिनांक :-19/08/2021  
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल/श्री कन्हैया कुमार, GIS Lab भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :-19/08/2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84/2019.....2477.....पटना, दिनांक :-19/08/2021  
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :-19/08/2021

ज्ञापांक: - 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....2477.....पटना, दिनांक :-19/08/2021  
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण